कामधेनु एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास परियोजना

एम पी स्टेट को–आपरेटिव डेयरी फेडरेशन भोपाल एवं आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन के संयुक्त प्रयास एवं कृषि मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) मदों के तहत स्वीकृत वित्तीय सहायता से प्रदेश में 11 एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास परियोजनाओं (त्रिवर्षीय) का क्रियान्वयन किया गया।

योजना प्रारंभ	अप्रैल 2006
योजना अवधि	03 वर्ष (अप्रैल 2006 से मार्च 2009) कार्यकाल में एक वर्ष अर्थात 31.03.2010 तक की वृद्धि
क्षेत्र	11 जिलों के 46 विकास खण्डों के 341 गॉव। सम्मिलित जिले –बैतूल, बड़वानी, खरगौन, धार, झाबुआ, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला, सिवनी, खण्डवा
लागत	रु 74.81 करोड़
लक्ष्य	8843 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना

योजना के मुख्य बिन्दु

- एक हितग्राही को 03 दुधारु पशु प्रदाय
- पशुओं हेतु शेड के लिए सहायता
- पशुओं हेतु 03 माह के लिए चारे की सुविधा
- लाभान्वित हितग्राहियों की सहकारी समितियों का गठन
- दुग्ध विक्रय की सुविधा (दुग्ध संघों के माध्यम से)

परियोजना के द्वितीय चरण हेतु रू. 122.04 करोड़ का प्रस्ताव राज्य शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। इस चरण में रतलाम जिले को भी सम्मिलित कर कुल 568 ग्रामों में परियोजना क्रियान्वयन प्रस्तावित किया गया है।